न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 11/2017 (225 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00154

उनवान

बाबूलाल पुत्र पांचिया जाति जाटव निवासी ग्राम मनियां तहसील व जिला धौलपुर।
.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर।
..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2017 प्रकरण संख्या 24/14 उनवान सरकार बनाम बाबूलाल, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री हरवीर सिंह अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–31.03.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम अलहपुरा तहसील धौलपुर में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी/अपीलाण्ट बाबूलाल पुत्र पांचिया हैं। अप्रार्थी/अपीलाण्ट को उक्त भूमि पर काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अप्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर काश्त ना करते हुये, अकृषि कार्य में उपयोग ले रहे हैं। जबकि उन्हें बिना भूमि संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्य करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, विवादित आराजी को सिवायचक घोषित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि प्रकरण में अपीलाण्ट को अग्रिम पेशी दिनांक 03.07.2017 दी गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

09.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में बिना अपीलांट को सूचना दिये उनकी बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि राजस्व लोक अदालत में प्रकरण पक्षकारो की आपसी सहमति से ही निपटाये जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में कोई राजीनामा अपीलाण्ट ने नहीं दिया। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तहसीलदार से कोई रिपोर्ट मौके की नहीं ली गयी है एवं ना ही धारा 177 के उपबन्ध 2 लगायत 4 की पालना ही की गयी है एवं ना ही पटवारी हल्का अथवा तहसीलदार के कोई बयान ही लिये गये हैं। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अपीलाण्ट बिना भूमि संपरिवर्तन कराये ईट भट्टे की पकी हुई ईट रख अकृषि कार्य कर रहे हैं। परन्तु उक्त रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि ईटो को रखने का कार्य मुस्तकिल होता है या टैम्परेरी होता है। ईट किस उपयोग के लिये रखी गयी हैं। सत्य तो यह है कि पटवारी हल्का अपीलांट से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता था। इस कारण उसने झूठी रिपोर्ट पेश की है। अपीलाण्ट अपनी आराजी की सिंचाई हेतु कुँआ का निर्माण एवं आराजी की देखभाल करने हेतु एक कच्ची झोंपडी का निर्माण करना चाहता था एवं इसी उद्देश्य से अपीलाण्ट ने अपनी आराजी पर ईट रख रखी थी। बाकी भूमि पर फसल हो रही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने उनकी बैक पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2021(1) पेज 533 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयो को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट राजस्व लोक अदालत में उपस्थित रहे हैं। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 08.05.2017 को अग्रिम पेशी दिनांक 03.07.2017 नियत की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व नियत पेशी दिनांक 03.07.2017 से पूर्व ही दिनांक 09.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर, गैर सायल/अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। विधि अनुसार, लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणो को चिन्हित कर लगाया जाता है। जिनमें दोनों पक्ष लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर निस्तारण करना चाहते हो। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध जाकर, बिना राजीनामा एवं अपीलाण्ट को बिना सुने, उनकी अनुपस्थिति दर्शाते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र प्रकरणो की संख्या बढाने की दृष्टि से सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। लिहाजा इस प्रकार के निर्णय को किसी प्रकार विधि अनुरूप नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-डीग पुर

माना जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर